संख्या–702 / 65–2–2017–03 / 96

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2017

विषयः– दिव्यांगजनों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–158 / वि0ज0वि0 / यो0 / 2017–18 दिनांक 13.04.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक नियमावली–1997 यथा संशोधित दिनांक 11 अप्रैल, 2012 में दिव्यांगजन से विवाह करने पर दिये जाने वाले विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि नियम–6(1) के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000 / – व नियम–6(2) के अन्तर्गत युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000 / – तथा नियम–6(3) के अन्तर्गत युवक–युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000 / – निर्धारित है। प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त नियम–6(1) एवं नियम–6(2) के अन्तर्गत निर्धारित राशि को यथावत् रखते हुये नियम–6(3) के अन्तर्गत निर्धारित राशि रू0 20000 / – को बढ़ाकर रू0 35000 / – प्रति दम्पत्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त संशोधित राशि ऐसे विवाहों के सम्बन्ध में प्रभावी होगी, जो इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के बाद सम्पन्न होंगे।

3– उक्त सीमा तक "विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली" को आंशिक रूप से संशोधित कर दिया जाये।

4– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–815 / दस–2017, दिनांक 08 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।